(b) The charge is baseless The stand of the Central Government was clearly indicated in the Prime Minister's opening speech at the Conference

12.04 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ILLEGAL OCCUPATION OF INDAIN TERRITORY BY PAKISTAN IN NADIA DISTRICT OF WEST BENGAL

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon

> "The reported illegal occupation of 4,852 acres of Indian territory by Pakistan since 1963 in Karimpur police station of Nadia District in West Bengal"

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): Sir, a Hindi daily 'Hindustan' published from New Delhi carried a news item on July 17, 1967 stating that there is resentment in the public in Karimpur Thana of Nadia district in West Bengal, due to continuance of Pakistan's occupation over 4,852 of land belonging to four villages The report refers actually to an area of 1,657 68 acres or approximately 2 59 sq miles consisting of three villages—Bousmari, Madugari and Andharkota This area which is to come to India under the Indo-Pakistan Agreement of 1958 is presently under the control of Pakistan

Following the Inter-Dominion Agreement of December 1948, providing for the demarcation of the entire boundary between West Bengal and East Pakistan, approximately 1,176 miles has been demarcated by the actual placement of pillars out of a total of 1,349 miles.

Under the Indo-Pakistan Agreement of 1958, it was decided that the question of giving effect to the exchange of territory as a result of the demarcation already carried out, should be given early consideration As a result of demarcation of the border in the light of these Agreements, certain territories that happened to be in the adverse possession of one country required to be transferred to the other country Pakistan has however, taken the view that, the exchange of these territories is to be made only after the entire border is demarcated and the strip maps are exchanged Such demarcation has not yet been completed Every effort is being made to expedite the demarcation

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह जो इलाके अभी मंत्री महोदय ने बताये उसके अतिरिक्त भी वेस्ट बंगाल में और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो भारत के हैं और जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखे है। कुछ तो शुरू से ही कब्जे में किए क्योंकि हमारी सरकार सोती रही और कुछ बाद में कब्जे में किए जैसे पद्मा नदी के किनारे मायावन गांव जो करीमपुर पुलिस स्टेशन में है, इसी प्रकार से दौलतपुर पुलिस स्टेशन के कुछ गांव और इसी तरह गंगू पुलिस स्टेशन के कुछ गांव यह कई सौ मील इलाका उनके कब्जे में है। इस सरकार के, जैसे पहले भी इसके मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम एक इंच भी नहीं देंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय इसके दो मुंह है कहने के कुछ और, और करने के कुछ और, इस प्रकार से सैकड़ो मील का ऐरिया उनके कब्जे में है और यह सरकार ने ब्रीच आफ ट्रस्ट किया और वायलेशन आफ कांस्टीट्यूशन किया, अगर सरकार इन इलाकों को नहीं ले सकती तो यहां रहने के लायक नहीं.

(व्यवधान)

[श्री कंवर लाल गुप्त]

अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल के कौन कौन से और इलाके जो हमारे हैं और पाकिस्तान के कब्जे में हैं, वह कौन कौन से इलाके हैं और कब से है और दूसरी चीज यह कि उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में आप ने कब की है उन इलाकों की कि वह पाकिस्तान के कब्जे में हैं ?

तीसरे . (व्यवधान) .... अध्यक्ष महोदय, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मेरा तीसरा सवाल यह है कि बाकी जो इलाके हैं उन के बारे में पाकिस्तान से फैसला करके उन का कुछ पजेशन पाकिस्तान को दे दिया है क्या ?

Shri Surendra Pal Singh: I am in a position to give a reply to questions relating to the 3 villages I have mentioned in my statement I have not got information about the other areas that the hon. member referred to.

श्री कंवर लाल गुप्त : यह गलत बात है अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मैंने पहले भी पूछा था और इस तरह से सरकार जवाब देगी तो बहुत गलत बात है।

Mr. Speaker: The point is whether this land was under their occupation from the beginning or it has been taken over in the middle. These are some of the points and he can answer them.

Shri Surendra Pal Singh: This land relating to the three villages has been in the possession of Pakistan since 1947. There has been no encroachment on them. But after the demarcation, it has been settled that this land has to come to India, when the exchange takes place. But before the demarcation is completed, exchange cannot take place. That is why it is in their possession. But it is Indian territory.

श्री कंवर लाल गुप्त : प्वाइंट आफ आर्डर सर। इसी प्रकार का सवाल एक पहले आया था। उस समय भी मैंने यह सवाल किया था। यह मैं सारे देश का नहीं पूछ रहा हूं। मैं केवल वेस्ट बंगाल का पूछ रहा हूं कि वेस्ट बंगाल के और इलाके कौन कौन हैं ऐसे और मैं आप से प्रोटैक्शन चाहता हूं। इस तरीके से यह सरकार बचना चाहती है और यह चीज बताना नहीं चाहती है। इन को बताना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि तीन गांव भी जो हैं वह पाकिस्तान को जब दिये आपने तो सदन को सूचना दी थी ?

Mr. Speaker: They have not accepted.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय यह बताए तो सही कि यह क्या तफसील है ? कौन कौन से इलाके हमारे हैं और कौन कौन से उनको दिए हैं ? आप इसमें हमारी मदद कीजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वेस्ट बंगाल तथा ईस्ट पाकिस्तान बोर्डर के ऊपर अब कोई ऐसा ऐरिया नहीं है जिसके ऊपर डिस्प्यूट हो। सब मामले खत्म हो चुके हैं। सिर्फ एक्सचेंज का सवाल है। वह एक्सचेंज जब होगा जब डीमार्केशन कम्पलीट हो जायगा। जहां तक इन गांवों के देने का सवाल है, यह गांव कभी नहीं दिये गये। यह तो पहले से ही पाकिस्तान के कब्जे में थे।

श्री कंवर लाल गुप्त : तो लिए क्यों नहीं उनसे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : लेंगे डिमार्केशन होने पर।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि क्या सरकार बगैर पार्लियामेंट की इजाजत के पाकिस्तान

और दूसरे देशों के साथ समझौता कर सकती है और देश का कुछ भाग उनको दे सकती है या ले सकती है ?

Shri Hem Barua (Mangaldai): Sir, I rise to a point of order. This has always happened. We are always kept in the dark When Aksai Chin was occupied by China the Government did not tell us anything about it. About 748 bighas of Indian territory are occupied by Pakistan in Assam.

Mr. Speaker: It is not proper to bring forward all these things by way of a point of order.

Shri Hem Barua: Sir, we must be taken into confidence This House must be taken into confidence. Somehow or other the Minister does not do it. This particular territory is under the occupation of Pakistan since 1947.

Mr. Speaker: There are other methods of discussing it.

श्री कंवर लाल गुप्त : ऐसे भी इलाके हैं जो बाद में दिए हैं। . . . . (व्यवधान)

Mr. Speaker: They have not done it.

Shri Kanwar Lal Gupta: Let them say so.

श्री हुकम चन्द कछवाय : (उज्जैन) : बिना संसद की राय के दे सकते हैं क्या ?

Mr. Speaker: Since 1947 it has not been exchanged. It is not as though they have given away anything. If you have got any other grievance naturally you can bring it up by way of a motion or something like that.

Shri Hem Barua: But the fact remains that this area is under occupation by Pakistan.

Mr. Speaker: This Calling Attention Notice is about 4852 acres in a small area. The Minister has answered definitely that it was not taken and given, it is only a part of demarcation. Therefore, if other areas are there in China, Pakistan, Burma or some other country, hon. Members can bring in a separate motion. But on this question of 4852 acres you cannot expect the Minister to answer about every other thing.

श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़) : जिस प्रकार भारतीय प्रदेश पर पाकिस्तान का अधिकार है क्या पाकिस्तान की कुछ भूमि पर हमारा अधिकार भी है और इसके साथ साथ रेखाकन के नाम पर जो इसको लटकाया जा रहा है उस रेखांकन में विलम्ब क्या है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान बोर्डर के डिमार्केशन होने के बाद स्थिति यह है कि हमारे पास पाकिस्तान की जमीन करीब करीब 1.49 स्क्वायर माइन्स है और हमारी टेरीटरी पाकिस्तान के पास करीब करीब 2.59 है । लेकिन यह सब टेरीटरी जैसा मैंने अभी कहा अदला-बदली होने वाली है और जिस वक्त यह हो जाएगा तो जो उनका हमारे पास है वह उनके पास चला जाएगा और जो हमारा उनके पास है वह हमारे पास आ जायगा ।

एक माननीय सदस्य : देर क्यों हो रही है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह तब होगा जब डिमार्केशन खत्म होगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह सरकार खत्म होगी तब होगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामावतार शर्मा (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा था कि 57 से यह गांव और भूमि उनके पास है, जहां तक मैं समझता हूं 57 ही कहा था तो 47 से 57 तक तो यह आप के पास थी या 47 से ही उनके पास थी ? . (व्यवधान)

दूसरी बात यह कि इसके बाद ताशकन्द समझौता हुआ था जो एक महत्व की चीज है। उस की भावना स्वरूप क्या उस ओर कुछ और जमीन गई है ?

Shri Surendra Pal Singh: From the very beginning I have been saying 1947; I never said 1957

श्री रामावतार शर्मा : इसके बाद ताशकन्द समझौते का दूसरा प्रश्न किया था। ताशकन्द समझौता एक महत्व की चीज थी, जिसमें हमारे शास्त्री जी की मृत्यु तक हो गई। उस का भी कुछ परिणाम निकला है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप क्या थोड़ी भूमि और गई है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं ने . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मै आप का ध्यान अपने संविधान की धारा 1 की तरफ दिलाना चाहता हूं। क्या आप उस को देखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़िये।

डा० राम मनोहर लोहिया : जो कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है मैं उसी को पढ़ देता हूं, क्या करूं ?

"(1) India, that is Bharat, shall be a Union of States

(2) The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule.

(3) The territory of India shall comprise—

the territories of the States;"

and so on and so forth.

अब यह है कि पहली धारा का उल्लंघन इस सदन मे होता है या नही यह अलग बात है, लेकिन कम से कम इस सदन में न जाने कितनी बार इस की चर्चा होती रही है। अभी कुछ दिन पहले लाठी टीला की चर्चा हुई थी। उस के पहले एक बार गृह मंत्री जी से 36 एकड़ को लेकर बहुत जोरों से चर्चा हो गई थी। अगर इस पहली धारा का कुछ भी सम्मान हमको करना है तो यह जरूरी हो गया है कि 15 अगस्त 1947 का जो भारत का नक्शा था— नक्शे का मतलब वह नही जो स्कूलों मे पढ़ाया जाता है—जिसमे एक इंच एक मील के बराबर का हिसाब रहता है, वह बतलाया जाये और जो आज का है वह बतलाया जाये, जिस से पता चले कि कुल कितनी जमीन हमारी अब तक गई है। क्योंकि इस सदन मे सरकार की तरफ से खुद जो आंकड़े दिये गए हैं, जिन आंकड़ो के ऊपर हम लोगो ने अपना विश्लेषण किया है, जैसे सर्वे आफ इंडिया वगैरह के, उनके हिसाब से अब तक कोई 70—80 हजार एकड़ जमीन हमारी खत्म हो चुकी है, जिस मे से मैं काश्मीर की जमीन को अलग मानता हूं . .

Mr. Speaker: What is your point of order?

डा० राम मनोहर लोहिया : जो संविधान की पहली धारा है उस पर आप ध्यान दीजिये। यह विषय आपके सामने आता रहता है और इस विषय के रोज आने के कुछ मतलब होते हैं। आखिर हमारा कोई नक्शा है भी या नही, या कि जब कोई चाहे उस नक्शे से कोई हिस्सा उड़ा कर ले जा सकता है ? आखिर कोई न कोई नक्शा तो होगा ? तो

एक नक्शा जो 15 अगस्त, 1947 का था और जो आज है, वह सदन के सामने पूरी तरह से आ जाना चाहिये। वरना . . .

Mr. Speaker: What is the point of order? The Call Attention is on something; you are demanding something else.

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं पहली धारा को लेकर खड़ा हूं।

Mr. Speaker: You are making a speech

डा० राम मनोहर लोहिया : आप मुझको पूरा तो कर लेने देंगे ? मैं कभी न आता जब तक कि मेरे पास अभी कल ही त्रिपुरा का नक्शा न आया होता। इस समय कई हजार वर्ग मील जमीन . .

Mr. Speaker: I have brought it to the notice of the Minister All these things should not be raised like this. If you want, you can send it to me Yesterday also, some map was brought to my notice, where the whole of Assam was not there and a part of Bengal was also not there, Calcutta was the limit of India That was a map put up in some school text-book I think, it has been forwarded to the Ministry concerned Here and there, there are such occurrences I am very sorry for these things

श्री मधु लिमये (मुंगेर) . इस पर ध्यान आकर्षण होना चाहिए।

Mr. Speaker: I know What I say is this. If and when something comes to the notice of any hon Member in this House, he can bring it to the notice of the Government, or to me also and I can pass it on to the Government and tell them that this is bad and some correction must be made. Or the hon. Member can give notice of motion and say that this is happening and this is injurious, and then we can think of something. My point is that it cannot be raised off hand like this. Let us have a discussion if there is something wrong. If we go on saying that we have lost 1,000 acres or 2,000 acres, it is dangerous for the country; whether we have lost or not, we shall discuss it one day

Now he may allow Mr Madhu Limaye to put his question.

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी बात आपने सुनी नहीं। यह बहस अक्सर आती रही। जब आप इस कुर्सी पर नहीं थे तब एक वचन मुझको दिया गया था कि इस पर बहस होगी, सर्वे आफ इंडिया को ले कर के। वह वचन भंग किया गया था। मैं समझता हूं कि आपके पूर्वज ने जो वचन भंग किया था उनको आप शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेंगे। (हंसी)। यह हंसने की बात नहीं है।

Mr. Speaker: We are discussing something

डा० राम मनोहर लोहिया : आप ने कहा था डिस्कशन। आप खुद अपनी बात याद करें। अभी आपने कहा कि वाद विवाद। वाद विवाद का वचन आपका वचन है न ?

Mr Speaker: I am sorry, I am allowing you to complete this. I am unhappy about it. In the middle, if he goes on making a speech.

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या आप पहली धारा को कुछ नहीं समझते ?

Mr. Speaker: I do not know I would request him to allow Mr Madhu Limaye to put the question

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझको भी बहुत बुरा लगता है कि पहली धारा का अपमान हो रहा है।

Mr. Speaker: May be so.

श्री मधु लिमये : उन का एक प्रस्ताव है उसके लिये मौका दिया जाये।

Mr. Speaker: That is a separate thing. I can understand that That has nothing to do with this He can give notice.

श्री मधु लिमये : पिछली बार जब यह लाठीटीला और डूमापाडी का सवाल उठा था तब मैंने सारे पुराने प्रश्नों को देखा मैंने उस मे एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति पाई कि जब कभी इस तरह से भूमि चली जाती है तब उस के बारे मे हमेशा कहा जाता है, और खुद नेहरू साहब ने यह प्रवृत्ति चालू की, अपनी भूमि को विवादग्रस्त इलाका कहा, फिर कहा माइनर इनसिडेंट्स, फिर कहा पेटी इनसिडेंट्स, इस तरह जब भी आक्रमण होता है उस के महत्व को कम करने की सरकारी तबियत मैंने यहा पाई है। अभी मैंने ठीक सुना कि 1947 से हो यह भूमि पाकिस्तान के हाथ मे है ? ठीक सुना न ? अब मै आप के सामने नेहरू साहब के एक वाक्य को रखना चाहता हूं ।

Shri Ranga: The Commerce Minister seems to have brought some presents for his colleagues. He is distributing them here.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि 1947 से ही इस करीमपुर इलाके की भूमि पाकिस्तान के हाथ मे है । यही कहा है न ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंने तीन गांवों के बारे मे कहा है ।

श्री मधु लिमये : उसी की चर्चा हो रही है जो कि ध्यानआकर्षण का विषय है । बाद मे वह कहेंगे कि मैंने यह नहीं कहा था ।

अब मेरा सवाल यह है कि 16 सितम्बर, 1963 को इस सदन मे हमारे श्री चटर्जी ने एक सवाल पूछा था श्री नेहरू से । उन का प्रश्न इस प्रकार है .

"May I know whether it has become a common practice for the Pakistani soldiers to fire on our patrols and enter our territory whenever they like?"

इस के बारे में श्री नेहरू जवाब देते हैं कि :

"It is unfortunate that till then the *status quo* is not recognised by Pakistan, although they have agreed to do so some time ago "

स्टेटस को के क्या माने होते है ? यह होते है कि गोलाबारी या युद्ध के पहले की स्थिति । तो इसको पाकिस्तान कबूल नही कर रहा है । मतलब गोलाबारी के पहले वह इलाका निश्चित रूप से हमारे हाथ मे था । अगर ऐसा न होता तो स्टेटस-को का सवाल ही नही उठता (इंटरप्शंस) मे तर्कसंगत बात कर रहा हूं । इन्होने कहा है कि 1947 से भूमि पाकिस्तान के हाथ मे है । मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि स्टेटस-को पाकिस्तान के हक मे है । लेकिन नेहरू जी उलटा कह रहे हैं। वह कह रहे हैं ......

Mr. Speaker: We are not discussing the whole thing. He can ask a question relating to this particular thing.

श्री मधु लिमये : इन्होंने कहा है कि 1947 से पहले भूमि पाकिस्तान के हाथ में है जबकि प्रधान मंत्री नेहरू साहब कहते हैं कि गोली चला कर, आक्रमण करके इस भूमि को पाकिस्तान ने हथिया लिया, कब्जा किया और कई समझौते

किए, करार किए कि हम छोड़ेंगे और युद्ध के पहले, गोलाबारी के पहले की जो स्थिति है उस को लावेंगे लेकिन नहीं ला रहे हैं। एक तो मेरा यह सवाल है।

दूसरा सवाल एक और है। क्या इस सरकार पर विनोबाभावे जी का इतना ज्यादा असर हो गया है कि इकतरफा अन्तर्राष्ट्रीय भूमि दान यज्ञ इस सरकार ने शुरू किया है, कुछ इलाका पाकिस्तान को दो, कुछ इलाका चीन को दो और न जाने कितने पड़ासियों को ये अपने इलाके दे रहे हैं। क्या वह उनके प्रभाव में इस हद तक आ गए हैं और इकतरफा अन्तर्राष्ट्रीय भूदान यज्ञ इन्होंने चालू किया है?

Mr. Speaker: विनोबा जी का असर पड़ा? इसका आप जवाब देना चाहते हैं।

If he can answer that part of the question, I have no objection

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: माननीय सदस्य के पहले हिस्से का जवाब मैं देना चाहता हूं। इसमें कोई भूमि देने का सवाल नहीं है, न इस किस्म का कोई समझौता किया है या हुआ है। यह जमीन हमारी है और हमें यह आखिर में वापिस आएगी (इंटरप्शन) तीन गांव जो मैंने बताये है, जिन इन गांवों की भूमि की मैंने चर्चा की है इस जमीन के ऊपर कभी भी किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ है, कोई एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है, गोलियां नहीं चली हैं, कोई मरा नहीं है। यह भूमि 1947 से ही उनके कब्जे में थी। जब पैमाइश हुई, तो उन्होंने एग्री किया कि यह भूमि हिन्दुस्तान की है, इसको छोड़ देंगे।

श्री मधु लिमये: नेहरू जी ने कहा है कि स्टेट्स-को की बात को। यह लिखा हुआ है। उल्लंघन हुआ है...

Mr. Speaker: That has to be examined. I do not accept it in full now. I have to look into it and see in what connection he had said that.

12.33 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENTS SHOWING ACTION TAKEN ON ASSURANCES ETC

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): I beg to lay on the Table following statements showing the action taken by the Government on various assurances, promises and undertakings given by the Ministers during the various sessions shown against each -

1. Supplementary Statement No. I	Second Session 1967. (Fourth Lok Sabha).
2. Supplementary Statement No. III.	First Session, 1967. (Fourth Lok Sabha).
3. Supplementary Statement No. V.	Sixteenth Session 1966. (Third Lok Sabha).
4. Supplementary Statement No. VIII.	Fifteenth Session, 1966. (Third Lok Sabha).
5. Supplementary Statement No XII.	Fourteenth Session, 1966. (Third Lok Sabha).
6. Supplementary Statement No. XIII.	Twelfth Session, 1965. (Third Lok Sabha).
7. Supplementary Statement No. XVIII.	Eleventh Session, 1965. (Third Lok Sabha).

[*Placed in Library see* No. LT-1072/67]

DURGAPUR STEEL PLANT ENQUIRY COMMITTEE REPORT

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri